भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2597
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

2597. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में , विशेषकर बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और साथ ही ग्राम पंचायत-वार तथा ब्लॉक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों सहित ओडिशा में पीएमएवाई-जी के लिए जिला-वार आवंटित और संवितरित कुल निधि कितनी है;

(ग) क्या उपरोक्त जिलों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण में निधि जारी करने या निर्माण पूरा करने में कोई विलंब हुआ है , और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) बरगढ़ और झारसुगुड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों के निर्माण में पारदर्शिता और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मौजूद निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन किया जाता है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ओडिशा राज्य में कुल 9,79,244 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा , बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में क्रमशः 26,293 और 12,055 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा , ब्लॉकवार वास्तविक प्रगति (ग्राम पंचायत स्तर तक)

https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/PhysicalProgressRpt.aspx पर देखी जा सकती है।

(ख) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानकर केंद्रीय सहायता सीधे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाती है। लाभार्थियों को यह निधि इससे आगे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी की जाती है। उपयोग की गई निधि से संबंधित जिला-स्तरीय वित्तीय वर्षवार आँकड़े कार्यक्रम की वेबसाइट "https://rhreporting.nic.in/netiay/FinancialProgressReport/Report_HighLevel_Financial Progress.aspx" पर देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त , ओडिशा राज्य को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 6859.0351 करोड़ रुपये (पीएम-जनमन सहित) का केंद्रीय अंश जारी किया गया है।

(ग) पीएमएवाई-जी के समक्ष आने वाली कुछ बाधाएँ, जिनके कारण कार्यान्वयन में देरी हुई, उनमें कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन शामिल है , जिसके कारण पीएमएवाई-जी के तहत मकान निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यकलाप प्रभावित हुए। इसके अलावा , राज्य कोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केंद्र और राज्य का अंश जारी करने में देरी , लाभार्थियों की अनिच्छा , स्थायी प्रवास , मृतक लाभार्थियों का उत्तराधिकार संबंधी विवाद , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं।

इतनी देरी के बावजूद, योजना अपने प्रमुख लक्ष्य हासिल करने में सक्षम रही है और मंत्रालय 31 मार्च, 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओडिशा राज्य से किसी भी जिले में निधि जारी करने में देरी , मकानों के निर्माण में देरी आदि के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) मंत्रालय पीएमएवाई-जी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए मकानों की निगरानी और इनका निर्माण समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल कर रहा है:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों का समय पर आवंटन।

ii. वर्कफ़्लो सक्षम लेनदेन-आधारित एमआईएस-आवास सॉफ्ट , विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड और अन्य आईटी उपकरणों और नवीनतम एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करके मकान के लिए मंजूरी और निर्माण की सूक्ष्म निगरानी।

iii. मंत्री/सचिव/उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।

iv. उच्च लक्ष्य रखने वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।

v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधि जारी करना और इसके आगे लाभार्थियों को राशि जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

vi. गुणवत्तापूर्ण मकानों का तेजी से निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों का एक दल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण।

vii. आवास+ 2024 मोबाइल ऐप सहित नए लॉन्च किए गए आईटी उपकरणों का उपयोग करना जो आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण के साथ पारदर्शी लाभार्थी पहचान सुनिश्चित करता है।

viii. आवास सखी मोबाइल ऐप, जिसे एक ही स्थान पर प्रमुख सूचनाओं और संसाधनों को समेकित करके पीएमएवाई-जी तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ix. विशिष्ट निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों और ब्लॉकों को पुरस्कार प्रदान करना , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा हो।

(ङ.) पीएमएवाई-जी की निगरानी एमआईएस अर्थात आवाससॉफ्ट में वर्कफ़्लो-सक्षम लेनदेन संबंधी डेटा का उपयोग करके प्रगति के वास्तविक समय के आधार पर जानकारी संग्रह के माध्यम से की जाती है। प्रक्रिया निगरानी के लिए , केंद्रीय दलों [क्षेत्रीय अधिकारियों और राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम)] द्वारा निरीक्षण किया जाता है , साथ ही संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी (दिशा) समिति , सामाजिक लेखा परीक्षा आदि द्वारा भी निगरानी की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी प्रणाली एक तीसरे-पक्ष निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र है जो देश में पीएमएवाई-जी सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के नियमित मूल्यांकन की दिशा में कार्य करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त , योजना के मूल्यांकन के लिए किए गए अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है:-

I. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के शासन मापदंडों का मूल्यांकन'

एनआईपीएफपी द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के शासन मापदंडों के मूल्यांकन" पर तीन चरणीय अध्ययन किया गया, जिसमें हेराफेरी में कमी लाने में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रभाव का आकलन भी शामिल था।

मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य परिणाम निम्नानुसार हैं:

i. पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण कार्य पूरा होने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या 314 दिन थी, जो 2017-18 में घटकर 114 दिन हो गई।

ii. निर्माण-संबंधी सामग्रियों की बढ़ती मांग ने अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नौकरियां पैदा की हैं।

iii. औसत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है , जो मुख्यतः पीएमएवाई-जी योजना के बाद खाद्य पदार्थों पर व्यय में वृद्धि के कारण है और यह वृद्धि पीएमएवाई-जी से पहले की स्थिति की तुलना में है, जो बेहतर जीवन स्तर का संकेत देती है।

iv. पीएमएवाई-जी के तहत आवासों में शौचालयों के निर्माण के बाद खुले में शौच में उल्लेखनीय कमी देखी गई है , जिससे पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के सदस्यों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है।

v. पीएमएवाई-जी परिवारों में एलपीजी गैस के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

II राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा "पीएमएवाई-जी का प्रभाव मूल्यांकन"

एनआईआरडी द्वारा यह आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया था कि लक्षित आबादी की भौतिक स्थितियों में सुधार के संबंध में कार्यक्रम के उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया था ; और एक नए मकान के मालिक होने के परिणामस्वरूप , लक्षित आबादी द्वारा अनुभव किए गए सामाजिक-आर्थिक सुधार की स्थिति क्या रही। यह सर्वेक्षण तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश , ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था (छह जिलों में 24 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए , 1382 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का साक्षात्कार लिया गया)।

i. पीएमएवाई-जी आवास ने मकान रख-रखाव का बोझ कम किया।

ii. पीएमएवाई-जी ने प्रदान की गई भौतिक सुविधाओं और लाभार्थी कल्याण दोनों के संदर्भ में लाभार्थियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

iii. पीएमएवाई-जी ने दो या अधिक कमरे उपलब्ध कराकर आवासों में जगह की कमी को थोड़ा कम किया है।

iv. सामाजिक स्थिति , आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास का स्तर , स्वामित्व की भावना , सुरक्षा और संरक्षा की भावना , स्वास्थ्य में स्वयं द्वारा महसूस किया गया सुधार , जीवन की समग्र गुणवत्ता और नए आवास के बारे में संतुष्टि जैसे संकेतकों पर , पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को उन लाभार्थियों की तुलना में बहुत बेहतर महसूस

होता है, जो पीएमएवाई-जी के तहत प्रतीक्षा सूची में हैं और यह वे लाभार्थी होते हैं जिन्हें अभी तक पीएमएवाई-जी आवास नहीं मिला है।

III. नीति आयोग –"सीएसएस योजना का मूल्यांकन – ग्रामीण विकास क्षेत्र" पीएमएवाई-जी- 2020-21 के संबंध में:

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययन के तहत , 6 चयनित सीएसएस (केंद्रीय प्रायोजित योजना) - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) , दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)का विस्तृत योजना स्तर विश्लेषण किया गया था। इनमें से प्रत्येक योजना का मूल्यांकन प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता, स्थिरता, प्रभाव और समानता का निर्धारण आरईईएसआई+ई रूपरेखा का उपयोग करके किया गया है। इस अध्ययन के तहत , पीएमएवाई-जी के निष्पादन का मूल्यांकन जवाबदेही और पारदर्शिता, लैंगिक समानता, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुधार और नियमों आदि जैसे अंतर क्षेत्रीय विषयों पर किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं:

i. आवास के निर्माण के कारण लाभार्थियों का जीवन और आसान हुआ है। इससे आवास के निर्माण के साथ जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

ii. पीएमएवाई-जी योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में सक्षम है। आवासों की जियो-टैगिंग , आवास की गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल, टेक सेवी वित्तीय मॉड्यूल प्रौद्योगिकी का लाभ काफी अच्छी तरह से उठाते हैं।

iii. पीएमएवाई-जी के तहत लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाकर सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। महिला लाभार्थियों के नाम पर आवास उपलब्ध कराना , ट्रांसजेंडर लोगों को आवास आवंटित करना , महिलाओं को आवास मित्र बनने के लिए क्षमता निर्माण करना इस योजना के तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में योगदान देता है।

iv. आवेदन प्रक्रिया के प्रति लाभार्थी संतुष्ट थे, तथा उन्हें महत्वपूर्ण सहायता और समर्थन प्रदान किया गया।

*****